

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-2-2-92/3/1

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर, 92

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय.—स्नातकोत्तर तथा अन्वेषणात्मक (डॉक्टरेट) उपाधियों के लिए अग्रिम वेतन वृद्धियां.

ऐसे इंजीनियर्स अथवा डॉक्टर्स, जिन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है, को दो/एक अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत करने के *निर्देशों के सन्दर्भ में कुछ ऐसे प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें भिन्न-भिन्न विषय में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण करने पर बार-बार अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है.

2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किसी कार्मिक द्वारा भिन्न-भिन्न विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप बार-बार (दो/एक क्रमशः) अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत किए जाने का कोई औचित्य नहीं है. अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत किया जाना मात्र प्रोत्साहन स्वरूप है.

हस्ता./-
(यू. एस्. बिसेन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

- *संदर्भ.—1. क्र. 261/292/1/3/पीसीसी/73, दिनांक 8-5-73.
2. क्र. डी-308/431/1/3/वेआप्र/75, दिनांक 19-8-75.
3. क्र. डी-184/487/1/3/वेआप्र/79, दिनांक 18-10-79.
4. क्र. 133/183/वेआप्र/87, दिनांक 4-4-87.

पृ. क्र. सी-2-2-92/3/1

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर, 92

प्रतिलिपि :-

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल.
सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर.
सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म.प्र. भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल.
सचिव, विधान सभा सचिवालय, म.प्र. भोपाल.
3. मुख्यमंत्री जी/समस्त मंत्रिमण/राज्य मंत्रिमण के निज सचिव/निज सहायक.
4. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग.
5. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी म.प्र. सचिवालय, भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण/महाधिवक्ता, म.प्र. जबलपुर.
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(यू. एस्. बिसेन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.